भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE, JAMMU
संयोजक : सीएसआईआर–भारतीय समवेत औषध संस्थान, नहर मार्ग, जम्मू तवी–180 001 (भारत)
Convener : CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu Tawi - 180001 (INDIA)
दूरभाष : (0191) 2569000–06 फैक्स : (0191)–2569333, 2569023 Phones : (0191) 2569000 -06 Fax : (0191) 2569333, 2569023
E-mail : amarsingh@iiim.ac.in Website : www.tolicjammu.org

संख्या/No. ~~नराकास/जम्मू/बैठक/2014~~–राभा. दिनांक/Dated :.....20.06.2014.....

सेवा में,

नराकास, जम्मू के केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों के
अध्यक्षगण/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अनुवादक।

विषय:– दिनांक 11 जून, 2014 को हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक के कार्यवृत्त।
Subject:- **Minutes of the TOLIC, Jammu meeting held on 11th June, 2014.**

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक दिनांक 11 जून, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कृपया बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं।

कार्यवृत्त पर यदि किसी सदस्य को कोई सुझाव देना हो अथवा उनकी कोई आपत्ति हो तो वह अपने सुझाव कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

Sir/Madam,

The minutes of the meeting of Town Official Language Implementation Committee, Jammu held on 11th June, 2014 at 3.00 PM in the Conference Hall of IIIM, Jammu are enclosed herewith. You are requested to necessary action on the decisions taken in the said meeting accordingly.

Objections/Suggestions, if any may be intimated to this office within two weeks.

धन्यवाद/Thank you,

भवदीय,

(डॉ. अमर सिंह)
सदस्य-सचिव
(मो.): 9858629580

संलग्न:– यथावर्णित बैठक के कार्यवृत्त।

प्रति:–

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू के कार्यालय प्रमुख।
2. उपनिदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए–149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023 ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–01
4. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
5. संयुक्त सचिव (कार्या.), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–03
6. भारत की सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

संख्याः नराकास/जम्मू/बैठक/2014-राभा. **दिनांकः 12.06.2014**

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 11 जून, 2014 को सायं 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 11 जून, 2014 (बुधवार) को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक एवं नराकास अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा ने की। इस अवसर पर अतिथि के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय दिल्ली के श्री एन.एस.मेहरा, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), श्री सत्यप्रताप सिंह, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू, श्री ए.जी.अंसारी, महाप्रबंधक, सलाल पावर स्टेशन, रियासी, श्री अरविन्द भट्ट, महाप्रबंधक, दुलहस्ती पावर स्टेशन, किश्वाड़, श्री किशोर कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू/श्रीनगर, श्री सुनील खोसा, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, जम्मू/श्रीनगर, श्री प्रहलाद किशोर, होटल अशोक, जम्मू, संस्थान के श्री अब्दुल रहीम अध्यक्ष, पी.एम.ई. एवं तथा नगर जम्मू के केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों से आये सभी कार्यालय अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी/राजभाषा अधिकारी/नोडल अधिकारी/हिन्दी अनुवादक तथा प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त संवाददाता एवं उनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित कार्यालय प्रमुखों एवं सज्जनों का स्वागत डॉ. अमर सिंह, वरि. हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, नराकास, जम्मू ने किया। उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में कहा, ''कि इस बैठक में प्रथम अक्टूबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा तथा आपके कार्यालय में राजभाषा हिन्दी में किये गये कार्यों की समीक्षा तथा इससे संबंधित आपके कार्यालयों में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, जिसके अनुसार हम कार्यालयों में राजभाषा के कार्य सम्पन्न करते हैं। चूंकि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए। जिसके अन्तर्गत धारा 3(3) का हम सबको अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यही संविधान की मूलभावना के अनुरूप होगा। सभी भारतीय भाषाएं देश की एकता की प्रतीक हैं। भारतीय संविधान में जो प्रावधान किये गये हैं इसी के अनुसार हमें आदेशों/अनुदेशों का पालन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के संकल्पों का सम्मान करना चाहिए''।

तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ ही बैठक की कार्रवाई आरम्भ हुई। सचिव ने गत बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा के दौरान कहा कि सम्माननीय सदस्यों की कोई प्रतिक्रिया, सुझाव अथवा आपत्ति हो तो वे विचार रखें, लेकिन माननीय उपस्थित सदस्यों की ओर से कोई आपत्ति एवं प्रतिक्रिया न मिलने पर सचिव ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

गत बैठक में लिए गये निर्णय और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई इस प्रकार हैः-

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण मदों पर चर्चा हुई और कार्यक्रम में दिए गए मदों के अनुसार सभी सदस्य कार्यालय कार्रवाई सुनिश्चित करें।
2. धारा 3(3) के अन्तर्गत पत्राचार को बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सचिव ने बैठक में बताया कि धारा 3(3) मैंडेटरी है। इसके अन्तर्गत 14 प्रकार के कागजात हैं। सभी कार्यालयों में द्विभाषी पत्र जारी करने का प्रावधान है। इसका उल्लंघन करना हस्ताक्षरकर्त्ता की स्वयं जिम्मेदारी है। कि वे द्विभाषी जारी करने पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3. सभी सदस्य कार्यालय हिन्दी पुस्तकें एवं हिन्दी साहित्य अपने कार्यालय में क्रय हेतु आवश्यक कार्रवाई पर विचार करें। जैसाकि राजभाषा विभाग के आदेश है कि जिसमें जर्नल और मानक पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजीटल वस्तुओं अर्थात हिन्दी पुस्तकों सी.डी./डी.वी.डी. तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गयी राशि सहित हिन्दी पुस्तकों के क्रय पर 50 प्रतिशत व्यय किया जाए।
4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में समिति के कुछ सदस्य कार्यालय यदि संयुक्त रूप से हिन्दी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, काव्य ग्रोष्ठी करने हेतु सहयोग करना चाहते है। समिति उसका स्वागत करती है।
5. सदस्य-सचिव डॉ. अमर सिंह ने समिति को बताया कि अध्यक्ष, नराकास कार्यालय द्वारा एक अन्तरविभागीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। जिसमें प्रतिभागिता हेतु सभी सदस्य कार्यालयों के प्रतिभागी भाग लें।
6. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ई-मेल आई.डी. तैयार की गई है और पत्राचार सभी सदस्य कार्यालय को इसी के माध्यम से किया जा रहा है। सचिव ने समिति में बताया कि जो कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष स्थानान्तरण पर जाते है और उनके स्थान पर नये अधिकारी कार्यभार ग्रहण करते है। कृपया वे स्थानान्तरण हुए कार्यालय प्रमुखों की सूचना और उनकी ई-मेल आई.डी. नगर समिति कार्यालय को amarsingh@iiim.ac.in पर यथाशीघ्र भिजवाएं।
7. ज्ञानवार्ता के पांचवें अंक के लिए अपने लेख/कविता/रचनाएं आदि प्रकाशन हेतु भिजवाएं।
8. कमिति के सदस्य सचिव डॉ. अमर सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 के दौरान और संघ सरकार की राजभाषा नीति की प्रगति की दिशा में प्रत्येक सदस्य कार्यालय हिन्दी दिवस/मास/पखवाड़े/सप्ताह आदि बड़े उत्साह के साथ आयोजित करें। जैसे संघ सरकार के प्रावधान है ।

नराकास, जम्मू के सदस्य कार्यालयों की गृह पत्रिकाएं जो वर्ष 2013-2014 में प्रकाशित की गयी जो इस प्रकार है:-

पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू की गृह पत्रिका **''त्रिकुटा''** पावर ग्रिड, जम्मू की गृह पत्रिका **''तवी प्रवाह''** , आयकर कार्यालय, जम्मू/श्रीनगर की गृह पत्रिका **'आयकर शिखर',** नराकास, जम्मू की गृह पत्रिका **''ज्ञानवार्ता''** तथा एन.एच.पी.सी. क्षेत्र-I. कार्यालय, जम्मू की गृह प्रत्रिका **''त्रिकुटा समाचार''** आदि प्रतिकाएं प्रकाशित हुई।

तदोपरान्त प्रथम अक्टूबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टो की समीक्षा का संक्षिप्त ब्यौरा सदस्य कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टे की स्थिति इस प्रकार है:-

प्रथम अक्टुबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टो की समीक्षाः-

केन्द्रीय कार्यालय

1. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मीरा साहिब
2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रचालन, जम्मू
3. पुलिस महानिरीक्षक, सेक्टर मुख्यालय, के.रि.पु.बल
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.रि.पु.बल जम्मू (रेंज)
5. पुलिस उपमहानिरीक्षकें, ग्रुप केन्द्र,के.रि.पु.बल
6. 52वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
7. 152वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
8. डी.ओ.ई.ए.सी.सी.केन्द्र
9. 76वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल
10. 121वीं बटालियन के.रि.पु.बल, कठुआ
11. 110वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
12. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक उत्तरी कमान
13. 135 बटालियन सीमा सुरक्षा बल
14. 53वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
15. भारतीय समवेत औषध संस्थान
16. रक्षा सम्पदा प्रधान निदेशालय
17. भारतीय सर्वेक्षण विभाग
18. फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल
19. मुख्य अभियंता सम्पर्क परियोजना
20. 32वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
21. कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
22. 23 विंग वायु सेना (जम्मू व कश्मीर)
23. पत्र सूचना कार्यालय
24. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

25. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान
26. कार्यालय महालेखाकार (हकदारी)
27. रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय
28. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
29. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
30. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
31. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
32. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला, मीरा साहिब
33. राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय
34. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रादेशिक कार्यालय
35. कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
36. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र
37. केन्द्रीय एकीकृत एवं नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र
38. कार्यालय आयकर आयुक्त (ज.व.क.) आयकर भवन, जम्मू/श्रीनगर
39. केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय
40. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय
41. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान संस्थान
42. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
43. विदेश व्यापार का कार्यालय
44. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान प.हिमालय क्षेत्रीय केन्द्र
45. कोयला खान भविष्य निधि
46. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान

बैंक

47. भारतीय स्टेट बैंक (प्रशासनिक कार्यालय)
48. बैंक ऑफ बड़ौदा
49. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
50. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षे.का., जम्मू
51. पंजाब नेशनल बैंक (मंडल कार्यालय)जम्मू व कश्मीर
52. आई.डी.बी.आई.बैंक, जम्मू

कारपोरेशन/निगम

53. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि.मं.कार्या.-1
54. भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डलीय कार्यालय
55. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
56. एअर इण्डिया लिमिटेड
57. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
58. एन.एच.पी.सी.लि., कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-।)
59. सलाल पावर स्टेशन एन.एच.पी.सी.लि.ज्योतिपुरम्
60. एन.एच.पी.सी.लि.,दुलहस्ती पावर स्टेशन किस्तवाड
61. भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय
62. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
63. भारतीय प्रसारण निगम, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
64. हुडको कार्यालय, जम्मू
65. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस क.लि. मण्डल कार्यालय-।।
66. भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय
67. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं:-

- प्रत्येक सदस्य कार्यालय अपने कार्यालय में कार्यालयप्रमुखों की उपस्थिति में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन करें और बैठक में लिए गये निर्णयों की समीक्षा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित् करें।
- तिमाही प्रगति रिपोर्ट नियमानुसार राजभाषा विभाग को ऑन लाईन भिजवाना सुनिश्चित् करें तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू कार्यालय को तिमाही के समाप्ति के 15 दिन के अन्दर भेजना अनिवार्य है।
- राजभाषा संसदीय समिति की तीन समितियां है जिसमें पहली समिति आलेख एवं साक्ष्य दूसरी उप समिति कार्यालयों की जिसके साथ मुख्यालय की प्रश्नावली संलग्न की जाती है। तीसरी उप समिति बैंकों के लिए है ये समितियां कभी भी आपके कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण कर सकती हैं।
- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग हिन्दी शिक्षण योजना, 33 कर्ण नगर, जम्मू कार्यालय को शेष कर्मचारियों को हिन्दी टंकण/हिन्दी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण के लिए भेजना सुनिश्चित करें।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में अक्सर देखा गया है कि कार्यालय अध्यक्ष प्रमुख रूप से भाग न लेना और अपने कार्यालय के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को बैठक में भाग लेने के लिए नामित करते हैं जो बैठक में निर्णय लेने में अस्मर्थ होते हैं जबकि नराकास की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह उपस्थिति संसदीय समिति कार्यालय को प्रेषित की जाती है।
- राजभाषा नीति कार्यान्वयन के नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाया जाए। यदि संबंधित कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को 80 प्रतिशत से अधिक प्रवीणता प्राप्त है और नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में काम करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करने पर कार्रवाई की जाए।
- राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अन्तर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाएं।

- प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय में राजभाषा नीति कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने की दिशा में जांच बिन्दु अवश्य जारी करें। ताकि राजभाषा नीति का उल्लंघन न हो।
- कार्यालय में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कार्मिकों से हिन्दी में काम करवाना सुनिश्चित किया जाए और कार्यालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए केवल यूनिकोड/यूनिकोडिंग आधारित प्रणाली पर कार्य सुनिश्चित करवाएं।
- नराकास, जम्मू द्वारा अपनी गृह पत्रिका के लिए निर्धारित अंशदान राशि समय रहते भिजवाएं।
- सदस्य कार्यालयों में राजभाषा से संबंधित यदि कोई पद रिक्त है तो तत्काल भरने संबंधी प्रतिक्रिया पूर्ण की जाए।

कृपया अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट उपनिदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय-1 (दिल्ली), ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023 को ऑन लाइन भिजवाएं।

बैठक में राजभाषा नीति कार्यान्वयन पर चर्चा एवं सदस्यों की प्रतिक्रियाएं उनके महत्वपूर्ण सुझाव जो इस प्रकार है:-

1. एनएचपीसी, सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक श्री ए.जी.अंसारी ने बैठक में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने पावर स्टेशन की उपलब्धियों और कार्यालय की हिन्दी प्रयोग की स्थिति पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम अपने परियोजना में एक कवि सम्मेलन और हिन्दी में एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं। सभी कार्यालयों से अनुरोध किया कि कवि सम्मेलन में सभी को सादर आमंत्रित किया।
2. एनएचपीसी, दुलहस्ती पावर स्टेशन के महाप्रबंधक श्री अरविन्द भट्ट ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए राजभाषा नीति कार्यान्वयन के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यालय में उनके द्वारा हिन्दी कार्यशालाएं, बैठकों का नियमित आयोजन तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा के कार्य को पूरा करने के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय दायित्व है।
3. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (उत्तरी कमान) कार्यालय, जम्मू के संयुक्त नियंत्रक श्री सत्यप्रकाश सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भाषा व्यक्ति को बनाती है और अभिव्यक्ति है। जो उपकरण के रूप में एक अलग पहचान बनाती है। उन्होंने इस अवसर पर विश्व की अन्य भाषाओं के बारे में उनकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक हिन्दी अनुवादक हिन्दी-अंग्रेजी में अपने विचार रखता है हम उसका भी सम्मान करते हैं। हिन्दी हमारी धरोहर है हमें उस पर गर्व है और हम चाहते है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में अपने कार्यान्वयन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं।
4. भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू के महाप्रबंधक श्री किशोर कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबको हिन्दी में कार्य करना चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अपने कार्यालय में अधिक से अधिक राजभाषा के कार्यान्वयन को आगे बढ़ायें क्योंकि हमारा राष्ट्रीय एवं नैतिक दायित्व बनता है। सरकार ने हमें यह जिम्मेवारी दी है कि हम रोजमर्रा के सभी कार्य हिन्दी माध्यम से सम्पन्न करें। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान नगर समिति के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन में मैंने प्रगति का अनुभव किया। इसके लिए मै अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता है।
5. श्री जम्मू होटल अशोक के महाप्रबंधक श्री प्रहलाद किशोर ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों का स्वागत करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में उनके योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नराकास की बैठकें, ज्ञानवार्ता पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। समिति की वेबसाइट और ई-मेल आई.डी. के माध्यम से तकनीकी प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है। जिसके लिए मै अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य-सचिव डॉ. अमर सिंह एवं उनके आई.टी. प्रभाग से जुड़े स्टॉफ को हार्दिक बधाई देता हूँ।
6. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय दिल्ली से प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, अनुसंधान अधिकारी ने उपस्थित कार्यालय प्रमुखों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य राजभाषा की प्रगति के लिए किये जा रहे हैं। समिति के माध्यम से राजभाषा के कार्य में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे है। समिति की बैठकें और पत्रिका का प्रकाशन व अन्य सदस्य कार्यालयों के द्वारा भी उनकी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। जिसके लिए समिति के अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा जी का धन्यवाद किया। उन्होंने संघ की राजभाषा

की दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा प्रेषित आदेश/अनुदेश व कार्यान्वयन के सन्दर्भ में अपने महत्वपूर्ण बिन्दुओं को बताया। जिसमें धारा 3(3) का कार्यान्वयन अत्यावश्यक है। हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम और तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने समिति के सदस्यों से भी आह्वाहन किया कि राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए राजभाषा पुरस्कार दिये जाते हैं। इस दिशा में उन्हीं को पुरस्कारों का निर्धारण किया जाता है जिनकी तिमाही प्रगति रिपोर्टें ऑनलाइन प्राप्त होती है। उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टें ऑनलाइन ही भेजना सुनिश्चित् करें। यदि इस बारे में कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सकता है। इस दौरान श्री मेहरा ने कई सदस्य कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण भी किया तथा एनएचपीसी, सलाल पावर स्टेशन, रियासी द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन/हिन्दी कार्यशाला में अतिथि के रूप में भाग लिया।

7. संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, नराकास, जम्मू डॉ. राम विश्वकर्मा ने सभागार में उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों तथा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अपने संस्थान की ओर तथा नराकास मंच की ओर से सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा, 'कि हमारे आई.टी. विभाग के सहयोग से हमने समिति की वेबसाइट ई-मेल आई.डी. तैयार की है, उन्होंने वेबसाइट के माध्यम से ब्लॉक भी तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से हिन्दी साहित्य का लेखन और हिन्दी में महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धियां पढ़ी जा सकती हैं। उन्होंने आगे बताया कि निकट भविष्य में संसदीय राजभाषा निरीक्षण समिति निरीक्षण के लिए अपना कार्यक्रम भेज सकती है। इसलिए हम सबको तैयार रहना चाहिए और अपने कार्यालय स्तर पर राजभाषा के कार्यान्वयन को और प्रगति की दिशा में बढ़ना होगा। हमारे नराकास की बैठकें नियमानुसार आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने हिन्दी टंकण व हिन्दी टाइपराइटर और हिन्दी से जुड़े कुशल टंककों का पैनल बनाने के बारे में सुझाव दिया। क्योंकि हमने स्वयं अनुभव किया है कि जब हमारे प्रधानमंत्री या अन्य कोई भारत सरकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। तो उनके द्वारा जम्मू संभाग में टंकण कार्य में दक्ष टंककों/हिन्दी अनुवादक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक पैनल बनाने का सुझाव दिया ताकि इस अवसर पर उनकी सेवाएं ली जा सकें। हमस ब राजभाषा कार्यान्वयन को एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक देश दूसरे देश में अंग्रेजी के माध्यम से एस.एम.एस. के माध्यम से अपने देश की विभिन्न सभी प्रान्तीय भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। उनके साथ-साथ हिन्दी का विकास एवं देश की समस्त भाषाओं का विकास संभव है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमारे संस्थान में जो महत्वपूर्ण हिन्दी पुस्तकें पुस्कालय में उपलब्ध हैं। आप सभी लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने इन पुस्तकों की सूची वेबसाइट पर ऑनलाइन डालने को कहा। अन्त में सबका आभार सहित धन्यवाद किया।

अन्त में संस्थान के श्रीमती रजनी कुमारी ने अध्यक्ष महोदय तथा बैठक में उपस्थित श्री एन.एस.मेहरा, अनुसंधान अधिकारी तथा नराकास जम्मू के सभी केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों, वरि. हिन्दी अधिकारियों/हिन्दी अनुवादकों एवं नगर के प्रिन्ट व इलैक्ट्रानिक मीडिया के सभी संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया का सदैव इस बैठक में सहयोग रहा है। बैठक के आयोजन में प्रबंधन के लिए संस्थान के वरि. हिन्दी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, डॉ. अमर सिंह तथा समस्त स्टॉफ सदस्यों का आभार सहित धन्यवाद करता हूँ।

डॉ. राम विश्वकर्मा
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

डॉ. अमर सिंह
सदस्य-सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू